(ङ) उक्त क्षेत्र में कोयले की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) शहडोल (मध्य प्रदेश) के निकट स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पट्टाधारी क्षेत्र में कोयले के भंडारों में से कोयले की चोरी होने की सूचना नहीं मिली है । जहां तक पट्टाधारी क्षेत्रों के बाहर कोयले की चोरी का संबंध है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

Transportation and theft of coal in North Eastern coalfields

23. SHRI NYODEK YONGGAM : Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) what is the total quantity and value of coal annually lost due to theft or other factors during transportation in North Eastern Coalfields at Ledo, Lekhapani, Tirap and Tipok coal mines under Coal India Ltd., and in Margherita, Assam; and

(b) what are the details of transporters registered with Coal India Ltd., Margherita, Assam ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA) : (a) Quantity of coal lost in North Eastern Coalfields due to theft during transportation by road is Nil. Approximately 10,000 tonnes of coal amounting to about Rs. 60 lakhs were lost in 1992-93 during transhipment by railways from pitheads to transhipment point, for transfer from metre gauge to broad gauge wagons.

(b) No transporters are registered with North Eastern Coalfields, Margherita, Assam.

चाय पर वसूल किया गया उपकर

24. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित चाय की सभी किस्मों पर सरकार द्वारा उपकर वसूल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस उपकर की दर क्या है;

(ग) 1990-91, 1991 और 1992-93 के वर्षों के दौरान उपकर के रूप में कितनी राशि एकत्रित की गई;

(घ) उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि का प्रयोग करते हुए चाय की उत्पादकता में वृद्धि और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कोई योजना कार्यान्वित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(च) उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है और उक्त प्रयोजन के लिए अब तक किस संस्था के माध्यम से इस राशि का उपयोग किया गया है; और

(छ) इस प्रकार से चाय उद्योग को कितना लाभ हो रहा है और उसका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) चाय अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अंतर्गत, उत्पादित की जाने वाली सभी प्रकार की चाय पर सरकार उपकर लगाती है । उपकर की वर्तमान दरें 3 पैसा प्रति कि. ग्रा. तथा 15 पैसे प्रति कि.ग्रा. हैं जो चाय उत्पादन के क्षेत्र पर निर्भर करती हैं ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय पर वसूल उपकर निम्नलिखित रहा है :

वर्ष	वसूल उपकर की राशि (रुपए/लाख)
1990-91	1207
1991-92 (अनं.)	1234
1992-93 (अनं.)	1120